राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ 1(परिपत्र)स्था/निकाशि/2013/674 दिनांकः–21 जून, 2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निजी कार्यो के लिए विदेश यात्रा हेतु आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश अथवा विदेश जाने की अनुमति का आवेदन पत्र विदेश यात्रा के प्रारम्भ होने के कुछ दिन पूर्व ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है एवं प्रायः यह भी देखा जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं भिजवाया जाता है जबकि निदेशालय द्वारा पूर्व में विदेश जाने की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया हुआ है (निर्धारित प्रपत्र संलग्न)। जिसके कारण सक्षम अधिकारी को अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं विदेश जाने की अनुमति हेतु पर्याप्त समय नहीं रहता है।

अतः महत्वपूर्ण राजकार्य को सम्पादित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होवे, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये जाते है कि विदेश में निजी यात्रा एवं कांफ्रेस आदि में सम्मिलित होने पर जाने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में कम से कम तीन सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं जी.ए. 45 प्रस्तुत करेंगे इस संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(4)कार्मिक/क–1/2007 दिनांक 08.05.12 द्वारा निर्देशित किया हुआ है, ताकि समक्ष अधिकारी यथोचित निर्णय लेकर विदेश यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व ही अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं विदेश जाने की अनुमति के संबंध में सूचित किया जा सके। यह भी देखने में आया है कि प्राचार्य द्वारा प्रकरण बिना जांच के भिजवा दिया जाता है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। अतः प्राचार्य स्वयं के स्तर पर प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् ही सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिए भिजवाये अन्यथा अपूर्ण प्रकरण पर अस्वीकृति के लिए प्राचार्य व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। विशेष परिस्थितियों में अचानक प्रोग्राम बनने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी स्वयं निदेशालय में आकर प्रकरण प्रस्तुत करें। आधे अधूरे प्रकरण प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

कृ.प.उ.

विदेश यात्रा हेतु अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सादा पेपर पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाला प्रपत्र

अपेडिक्स–अ

1	आवेदक का नाम मय पद (विषय)	
2	जन्म तिथि	
3	वर्तमान एवं स्थाई पता	
4	पासपोर्ट संख्या तथा अवधि जिस तक मान्य है (प्रति संलग्न करें)	
5	विदेश का नाम जहां अधिकारी/कर्मचारी जाना चाहता है	
6	अवधि (कब से कब तक) जिसमें विदेश में रहेंगे।	
7	अवधि के दौरान अवकाश हेतु प्राचार्य द्वारा अनुमोदित जी.ए. 45 (पी.एल.फार्म)	
8	विदेश का पता जहां ठहरेंगे।	
9	विदेश जाने का स्पष्ट कारण	
10	दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर	

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1 आवेदक किसी बन्ध पत्र के अधीन नहीं है।

2 आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अनुशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है, ना ही कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है।

3 आवेदक के संबंध में ऐसे कोई तथ्य नहीं पाये गये है, जो आवेदक को राजकीय/राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत घोषित करते हो।

4 आवेदक की अनुपस्थिति में महाविद्यालय का किसी प्रकार का कार्य प्रभावित नहीं होगा।

5 आवेदक किसी भी निलम्बन आदेश के तहत कार्यरत नहीं है।

दिनांक

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय

अपेडिक्स–ब

10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित बन्ध पत्र
(अण्डर टेकिंग का प्रारूप)

मैं —————————————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ——————————जो कि —————————— के पद पर —————— —————— महाविद्यालय, ————में नियुक्त हूँ। निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1 मैं बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृत करवायें, विदेश के लिये रवाना नहीं होऊँगा/होऊँगी।

2 मैं विदेश भ्रमण की अवधि में वृद्धि नहीं करूँगा/करूँगी, जब तक की मेरे अवकाश में वृद्धि नहीं हो जावे।

3 विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करूँगा/करूँगी।

4 मैं विदेश यात्रा के दौरान नौकरी या व्यवसाय नहीं करूँगा/करूँगी।

5 मैं विदेश यात्रा के दौरान जिन–जिन स्थानों पर रहूँगा, उसका पता समय–समय पर आयुक्तालय को अवगत करवाता रहूँगा/रहूँगी।

6 मैं विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत अवधि की समाप्ति पर तुरन्त प्रभाव से अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करूँगा/करूँगी।

7 मैं विदेश से अपने पद को त्यागने हेतु त्याग पत्र नहीं भेजूँगा/भेजूँगी।

8 विदेश यात्रा का समस्त व्यय मैं स्वयं वहन करूँगा/करूँगी।

9 मैं विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेश विनिमय नहीं करूँगा/करूँगी ना ही राजकीय स्त्रोत से विदेश मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करूँगा/करूँगी।

10 मेरे विरूद्ध वर्तमान में कोई FIR/आपराधिक प्रकरण/न्यायिक प्रकरण किसी पुलिस थाना अथवा न्यायालय में लम्बित नहीं है

दिनांक

हस्ताक्षर
पद
स्थान